झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

का॰ आ॰ सं॰– 8/ज०स०(नि०) विविध–15 –04/14 (खण्ड) राँची, दिनांक –

आदेश

श्री विमल कुमार झा (आई०डी०–3832) सहायक अभियंता की सेवा नगर विकास विभाग से वापस लेते हुए विभागीय अधिसूचना सं०–7776 दिनांक 21.12.13 द्वारा जलपथ अवर प्रमण्डल–3 गढ़वा शिविर नगर उटारी में पदस्थापित किया गया था। श्री झा द्वारा विभागीय स्थानांतरण आदेश का अनुपालन ससमय नहीं किये जाने के कारण विभागीय पत्रांक 2710 दिनांक 27.03.14 द्वारा कारण पृच्छा की गई।

2) श्री झा से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा सरकार स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत श्री झा के कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक 1750 दिनांक 15.04.15 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया :–

(i) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

3) उक्त दण्ड के सापेक्ष श्री झा द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। प्राप्त अपील अभ्यावेदन की समीक्षा सरकार स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत श्री झा के अपील अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य या तर्क नहीं दिया गया है जिसके आधार पर इन्हें संसूचित दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके।

अतः सम्यक समीक्षोपरांत श्री झा द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

4) उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव (नि०)

ज्ञापांक – 3040 राँची,दिनांक – 08.06.16

प्रतिलिपि – महालेखाकार झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव जल संसाधन विभाग राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/मुख्य अभियंता रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/उप सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग राँची/अधीक्षण अभियंता नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल राँची/ श्री विमल कुमार झा सहायक अभियंता, जलपथ अवर प्रमण्डल–3 गढ़वा शिविर नगर उटारी/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vimal 08/06/2016

सरकार के अवर सचिव (नि०)

08.06.16